<u>न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, कोटा (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी : आशीष दाधीच (RJS DJ Cadre)
आपराधिक विविध प्रकरण संख्या : 1216/2026
एफ.आई.आर.संख्या : 178/2026
अन्तर्गत धारा : 303(2) बीएनएस
पुलिस थाना : नयापुरा, कोटा

मोहित पुत्र सुरजीत, निवासी म.नं. जी-279, बॉम्बे योजना, अनन्तपुरा, पुलिस थाना महावीर नगर, कोटा (राज.)

--प्रार्थी

विरुद्ध

राजस्थान राज्य जर्ये लोक अभियोजक, कोटा --विपक्षी

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

उपस्थित:-

1. विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश चन्द नायक, प्रार्थी की ओर से।
2. विद्वान् अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

-:: आदेश ::-

दिनांक: 27.05.2026

1. प्रार्थी अभियुक्त मोहित की ओर से जमानत का यह प्रार्थना पत्र उसके अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया, जिसकी नकल लोक अभियोजक को दिलाई गई। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्त ने बहस के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए पक्षकथन किया है कि प्रकरण में प्रार्थी को असत्य तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि प्रार्थी सर्वथा निर्दोष है, उसका आरोपित अपराध से कोई सरोकार नहीं है, उसे महज रंजिशवश झूठा फँसाया गया है। प्रार्थी कोटा जिले का निवासी है, जिससे उसके फरार होने या गवाहों को टेंपरविद किये जाने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी अभियुक्त की ओर से यह प्रथम जमानत का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने उक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

Authenticated Document

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने प्रार्थी के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20.05.2026 को परिवादी देवाशीष सेन ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी नयापुरा, कोटा के समक्ष इस आशय की प्रस्तुत की कि दिनांक 19.05.2026 को समय लगभग 8 एएम पर स्टॉफ पार्किंग पर परिवादी ने अपनी कार आरजे14 सीएन 0647 आई 20 खड़ी की थी। दिन में 02 बजे आकर देखा तो कार का बोनट उपर था, कार में से बैटरी किसी अज्ञात व्यक्ति ने चुरा ली थी, उसी समय परिवादी के मित्र नटवर सैनी पुत्र मोहन लाल निवासी देहीत बूंदी ने एमबीएस परिसर में पम्प हाउस के पास अपनी कार आरजे08 सीए 9354 आई 20 खड़ी की थी, जिसे वापस आकर देखा तो बम्पर टूटा हुआ था, बोनट उपर करके किसी अज्ञात व्यक्ति ने बैटरी चुरा ली थी। दोनों घटना एमबीएस अस्पताल कोटा की है, आदि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 178/2026 संस्थित कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

5. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत: Jugal Vs State of Rajasthan S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13513/2020 की अनुपालना में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में निम्न प्रकरण संस्थित हुए हैं:-

क्र.सं	मुक. नं.	अपराध धारा	पुलिस थाना	चार्जशीट नं.	न्याया. निर्णय
1.	174/2023	379 आईपीसी	महावीर नगर	120/2023	पेण्डिंग

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि इस प्रकरण के अतिरिक्त प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 01 आपराधिक प्रकरण संस्थित हुआ है, जो वर्तमान में लंबित होना बताया गया है। अनुसंधान पत्रावली पर प्रार्थी अभियुक्त की पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त के विरुद्ध परिवादी की कार की बैटरी चुराने का आरोप है। प्रकरण में प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा में है। अभी प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं तत्पश्चात विचारण में समय लगने की सम्भावना है। प्रार्थी अभियुक्त से अब कोई अभिरक्षात्मक अनुसंधान शेष नहीं है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना मैं प्रार्थी अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित पाता हूँ।

Authenticated Document

7. निष्कर्षतः प्रार्थी अभियुक्त मोहित की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी अभियुक्त की ओर से विचारण के दौरान अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में व भविष्य में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की शर्त के साथ राशि 40 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं राशि 20-20 हजार रुपये की दो सुदृढ़ प्रतिभू (प्रतिभूदाता के आधार कार्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र की दो-दो फोटो प्रति सहित) विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर दिया जावे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(आशीष दाधीच)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, कोटा

8. आदेश आज दिनांक 27.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष दाधीच)
अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1, कोटा

NAND KISHORE BANSAL
Digitally signed by NAND KISHORE BANSAL
Date: 2026.05.29 12:55:09 +0000

Authenticated Document